यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, के माह 09/2013 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजकुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15/01/2018 से 18/01/2018 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. डंग, पर्यवेक्षक एवं श्री आनंद कुमार, सहयाक लेखपरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/09/2013 से 01/10/2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2002 से 08/2013 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना अगस्त 1975 में नगर के सम्भ्रांत निवासियों द्वारा एक अशासकीय महाविद्यालय के रूप में की गयी। अगस्त 1976 में शासन द्वारा इस महाविद्यालय का राकीयकरण किया गया। स्नातक स्तर पर कला वर्ग के छः विषयों से प्रारम्भ हुआ यह महाविद्यालय वर्तमान में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के 17 विषयों में स्नातक तथा 12 विषयों स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है। उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत यह सुविधा इस महाविद्यालय में उपलब्ध है। पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को दो बार राज्य स्तर पर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

(II) (अ) विगत चार वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	570.67	510.77	--	59.90	6.32	6.24	--	0.08
2015-16	--	--	575.77	533.53	--	42.24	6.58	6.40	--	0.18
2016-17	--	--	556.68	555.93	--	0.75	7.51	7.48	--	0.03
2017-18 (12/2017)	--	--	69.49	46.76	--	22.73	6.23	1.54	--	4.69

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्त	व्यय	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	UGC	--	--	--	12.30	12.30	--	0.0
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (12/2017)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्त	व्यय	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	RUSA	--	--	--	201.15	201.15	--	0.0
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (12/2017)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून 2. उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी 3. उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09/2013 से 12/2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2015 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - दो-(ब)</u>

प्रस्तर **1:-** काशनमनी/ प्रतिभूति धनराशि का रखरखाव नियमानुसार नही किया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये **₹ 4,72,672/-** का अनियमित आहरण तथा धनराशि **₹ 31.19** लाख (**₹ 7,41,948/-** अर्जित ब्याज सहित) का अक्रियाशील पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह राशि व्यपगत (लेप्स) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति संबन्धित कोष के लिए प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जाएगा।
3. छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है।
4. यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुमोनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, पी॰एन॰जी॰ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल के काशनमनी/प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अभिलेखो कि जांच पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनराशि बैंक खाता संख्या 1897244664 मे जिसका अंतिम अवशेष ₹ 31,19,901/- था, विगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी थी और न ही इसकी मांग छात्रों द्वारा की गयी है जिस कारण उक्त धनराशि कई वर्षो से खातो मे अव्ययित पड़ी हुई है। उक्त धनराशि मे धनराशि ₹ 7,18,941/- विगत वर्षो मे ब्याज के रूप मे अर्जित हुई थी, आगे जांच मे पाया गया कि धनराशि ₹ 3,21,000/- की अर्जित ब्याज की धनराशि इकाई द्वारा दिनांक 03.12.13 को चालान के माध्यम से विभागीय प्राप्ति शीर्ष 0202 मे जमा की गयी जबकि संबन्धित धनराशि शासनादेश के अनुसार छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु अथवा छात्रों पर व्यय कि जानी थी जिसे विभागीय प्राप्ति शीर्ष 0202 मे जमा कर धनराशि का व्यावर्तन (diversion of fund) किया गया। काशनमनी खातो से महाविद्यालय द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर बिना समिति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन समिति के अनुमोदनपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमति प्राप्त किए बिना, धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र॰स॰	आहरित धनराशि	दिनांक	प्रयोजन	काशनमनी खाता मे समायोजन
1	1000	2.07.13	सामाग्री क्रय हेतु	₹ 1000 दिनांक 12.03.14
2	3500	9.07.13	सामाग्री क्रय हेतु	₹ 3500
3	25000	25.09.13	कार्यालय व्यय	₹ 15000 दिनांक 11.09.14
4	25000	03.12.13	छात्र यूनिट हेतु व्यय	-
5	2000	20.02.15	डाक टिकट हेतु	₹ 2000 दिनांक 29.7.15
योग	**₹ 56,500/-**			**21,500**

उक्त तालिका से स्पष्ट है काशनमनी खाता से उक्त शासनादेश के विपरीत ₹ 56,500/- का आहरण किया गया था तथा आहरित धनराशि मे से मात्र ₹ 21,500/- का समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक संबन्धित खाता मे पाया गया तथा शेष धनराशि ₹ 35000/- लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित पायी गयी थी। आगे जांच मे पाया गया कि विगत वर्षो मे काशनमनी खाता से समय समय पर धनराशि का आहरण किया गया था जिसका समायोजन 2 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद ब्याज रहित समायोजित की गयी। काशनमनी खाता से प्रयोजन के विपरीत ₹ 99,147/-, ₹ 2250/- एवं ₹ 14275/- का व्यय(कुल व्यय= ₹ 1,15,672/-) क्रमशः पुस्तक क्रय हेतु, RTGS हेतु तथा विविध व्यय हेतु व्यय किया जाना पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि कोई आवेदन प्राप्त नही होने के कारण, विगत वर्षो मे कोई व्यय नही किया गया एवं अर्जित ब्याज के संबंध मे अवगत कराया कि अर्जित ब्याज कि राशि छात्रों की राशि है जिसे शासन को समर्पित नही किया जाता है। अतः उक्त के संदर्भ मे उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही कि जाएगी। इकाई द्वारा काशनमनी से व्यय हेतु क्रय समिति गठित कि गयी है तथा धनराशि ₹ 3,21,000/- को लेखाशीर्ष 0202 मे जमा किए जाने के संदर्भ मे इकाई ने जवाब दिया कि भविष्य मे ध्यान रखा जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि काशनमनी कि राशि छात्रों की प्रतिभूति धनराशि है जिसे शासनादेश के अनुसार परामर्श समिति की स्वीकृति से व्यय कि जानी थी तथा इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि काशनमनी खाते कि संबन्धित धनराशि (ब्याज सहित) विगत वर्षो से अव्ययित पड़ी हुई है।

अतः काशनमनी/ प्रतिभूति धनराशि का रखरखाव नियमानुसार नही किया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये ₹ 4,72,672/- का अनियमित आहरण तथा धनराशि ₹ 31.19 लाख (₹ 7,41,948/- अर्जित ब्याज सहित) का अक्रियशील पाया जाना।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर **2:- ₹ 14.66** लाख का अनियमित व्यय।

रूसा गाइडलाइन्स (General Norms-08) के अंतर्गत रूसा के तहत स्वीकृत किए गये अनुदान से क्रय की गयी सामग्रियों की प्रक्रिया राज्य में प्रभावी प्रोक्योरमेंट रूल के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल के नियम-09 में वर्णित था कि ₹ 50000/- से अधिक तथा ₹ 3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यत्र द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्त सेवा का होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा तथा समिति के सदस्य संयुक्त रूप से विशिष्टतता, गुणवत्ता तथा उपयुक्त बाजार दर से संबंध में प्रमाणपत्र अभिलिखित करेंगे।

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, रामनगर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शासनादेश सं0-421/XXIV(7)/2016-68(2)/15 दिनांक 16/08/2018 द्वारा नई सुविधाओं के लिए ₹ 25.00 लाख महाविद्यलय को आवंटित किये गये, जिसके सापेक्ष क्रय सामग्रियों का Break-up इस प्रकार पाया गयाः-

Sr.No.	Items	Amont Spent (in lacs)
1.	Computer Accessories	14.14
2.	Racks	14.66

परंतु वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुये समिति में वित्त सेवा से सदस्य शामिल न होना, ₹ 14.14 लाख कंप्यूटर क्रय प्रकरण में निविदा प्रक्रिया न अपनाकर प्रतिस्पर्धा दर की अनदेखी करना, समिति द्वारा नियमतः मार्केट सर्वे रिपोर्ट की कापी अनुपलब्ध पाया जाना तथा सामग्री की विशिष्टतता, गुणवत्ता एवं उपयुक्त बाजार दर विषयक प्रमाणपत्र अभिलिखित नहीं करने का प्रकरण पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में प्रोक्योरमेंट रूल का पालन किया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, यदि वित्तीय नियम के तहत क्रय प्रक्रिया का पालन किया जाता तो वह पारदर्शी, मितव्ययी तथा गुणवत्तायुक्त होता जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर **3:-** यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशी का उल्लंघन करते हुए धनराशि **₹ 12.12** लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰ जी॰ सी॰) के बारहवी योजना (XII) वर्ष 2012-2017 अवधि के दौरान महाविद्यालयो को विकास हेतु अनुदान प्रदान की जाती है। इस संबंध मे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर को यू जी सी के XII[th] योजना के अंतर्गत सामान्य विकास सहायता (General Financial Assistance) अनुदान निम्न शर्तो के तहत प्रदान की गयी थी, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है:

1). सामान्य विकास सहायता के अधीन दिया जाने वाला अनुदान, ब्लाक अनुदान के रूप मे दिया जाएगा, जिसमे इस बात की नम्यता होगी कि महाविद्यालय आवश्यकतानुसार उसे खर्च कर सके। सामान्य सहायता अनुदान (31) और पूंजीगत परिसंपत्तियों (35) के अधीन आवंटन की प्रतिशतता 20:80 के अनुपात के आधार पर होगी।

2). महाविद्यालय अपनी आवश्यकता का अभिनिर्धारण करने और अपनी प्राथमिकताओ को निश्चित करने के बाद स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु एक योजना बोर्ड का गठन कर सकता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य, समन्यव्यक आइ क्यू सी और वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालायाध्यक्ष या लेख विभाग का वरिष्ठ अधिकारी इस योजना बोर्ड के सदस्य हो सकते है।

3). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदायो और विकलांगो तथा संबन्धित राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले अर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए महाविद्यालय को सहायता देना।

4). ये अनुदान दो उदेश्य शीर्षो, सामान्य सहायता अनुदान "31"(सामान्य सहायता विकास का 20 प्रतिशत) और पूंजीगत परिसंपत्तियों "35" (सामान्य सहायता विकास का 80 प्रतिशत) के अधीन योजना ब्लाक अनुदान (पीबीजी) के रूप मे जारी किए जाएंगा। पूंजीगत परिसंपतियों शीर्ष मे पुस्तकों और पत्रिकाओ, उपस्करो, साफ्टवेयरों, भवन निर्माण/ मरमत/ विस्तार पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल है, अन्य सभी मद सामान्य सहायता अनुदान (31) शीर्ष के अधीन आएंगी।

5). पुस्तक और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लिय किया जाएगा।

6). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधि से खरीदे गए उपस्करो/ पुस्तकों की सूची प्रत्येक वर्ष के अंत मे राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति वित्त वर्ष के अंत मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेंजे।

उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियम **2008** के बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ

अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाएI अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्र को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

महाविद्यालय के यूजीसी संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पत्र संख्या F.1-6/2012 (policy/NRCB), दिनांक 30.06.2015 द्वारा सामान्य विकास सहायता अनुदान के तहत धनराशि ₹ 12,30,000/- आवंटित हुई थी। उक्त धनराशि RTGS के माध्यम से महाविद्यालय को दिनांक 24.07.15 को प्राप्त हुई, जोकि संबन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 मे व्यय किया जाना निर्धारित था। यू॰जी॰सी॰ द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि ₹ 12,11,988/-(12,30,000- 18,012 = 12,11,988/-) का व्यय महाविद्यालय द्वारा किया गया तथा शेष धनराशि ₹ 18,492/-(ब्याज सहित) के समर्पित किए जाने संबन्धित प्रमाण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए। आगे अभिलेखो कि जांच मे दिशानिर्देशों के विरूद्ध व्यय किए जाने के संबंध मे निम्नवत प्रमुख विसंगतिया प्रकाश मे आयी।

1) शासनादेश के अनुसार आवंटित अनुदान वितरण 20:80 (सामान्य सहायता अनुदानः पूंजीगत परिसंपतियों) के तहत किया जाना चाहिए था जिसे इसी अनुपात मे व्यय किया जाना था, परंतु महाविद्यालय द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धनराशि ₹ 12,11,988/- का व्यय उद्देश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंपतियों(35) के तहत उपकरणो/उपस्कर तथा पुस्तकों के क्रय पर किया गया। महाविद्यालय द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 12,11,988/- मे व्यय का अनुपात (पूंजीगत परिसंपतियों: सामान्य सहायता अनुदान) 100 : 00 पाया गया। अनुपात के अनुसार आवंटित धनराशि मे से ₹ 9,84,000/- पूंजीगत परिसंपतियों हेतु व्यय किए जाने हेतु अनुमन्य था, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 12,11,988/- पाया गया, अतः धनराशि ₹ 2,27,988/- का आधिक्य व्यय, पूंजीगत परिसंपत्ति पर किया गया।

2) उद्देश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंपतियों (35) के तहत क्रय की गयी पुस्तकों और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लिय किया जाना था। महाविद्यालय द्वारा धनराशि ₹ 5,72,310/- की पुस्तकों का क्रय विभिन्न प्रकाशनों से 15% discount के साथ किया गया तथा पुस्तकों के भंडारण हेतु मात्र ₹ 61,500/- (6,15,000x 10%= 61,500) का व्यय किया गया जबकि शासनादेश के अनुसार इस मद मे पुस्तकों के भंडारण हेतु 15% धनराशि का प्रयोग किया जाना था। अतः आवंटित धनराशि ₹ 6,15,000/- मे से ₹ 5,53,500/- की पुस्तकों का क्रय किया जाना अनुमन्य था, अतः ₹ 18,810/- (5,72,310- 5,53,300 = 18,810/-) की पुस्तके अधिक क्रय की गयी।

3) महाविद्यालय के अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा ₹ 6,59,214/- के उपकरण, कम्प्युटर, आदि क्रय किए गए थे। महाविद्यालय द्वारा आवंटित धनराशि ₹ 12.30 लाख मे से 50% धनराशि ₹ 6,15,000/- उपकरण मद पर व्यय किए जाने हेतु विभिन्न विभागो को ₹ 2,90,000 वितरित किए गए तथा शेष धनराशि ₹ 3,25,000/- counseling cell के निर्माण हेतु व्यय किया जाने की अनुमति ली गयी थी जिस कारण

उपकरणो का क्रय छोटे- छोटे टुकड़ो के रूप मे किया गया अर्थात समस्त उपकरणो के क्रय किए जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया आमंत्रित न कर केवल quotation के आधार पर ही समस्त उपकरण क्रय किए गए, जो कि अधिप्रप्ति नियमो का उल्लंघन दर्शाता है।

4) महाविद्यालय द्वारा सामान्य प्रकृति कि सामग्रियों का क्रय जैसे अल्मीरा, computers, computer parts, आदि का क्रय बार-बार विभिन्न विभागो द्वारा विभिन्न फर्मो/सप्लायर से किया गया। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया से बचने हेतु धनराशि ₹ 5,53,500/- के computer/computer parts सामग्री बार-बार टुकड़ो मे अलग-अलग तिथि पर quotation के आधार पर अथवा बिना quotation के क्रय की गयी है । अतः उक्त से स्पष्ट है कि यदि महाविद्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से उक्त सामाग्री का क्रय एक बार मे किया जाता तो प्रतिस्पधा स्वरूप अधिकतम लाभ लिया जा सकता था।

5) महाविद्यालय द्वारा यूजीसी द्वारा प्रदान की गयी सामान्य विकास सहायता के फ़ंड का विभाजन करते समय लगभग समस्त धनराशि को पूँजीगत परिसंपतियों पर व्यय किया गया।

6) अभिलेखीय जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा आवंटित धनराशि प्रस्तावित उपकरणो एवं पुस्तकों मद पर व्यय किए जाने हेतु व्यय का अनुपात 50:50 था जबकि वास्तविक व्यय 5,72,310 एवं 6,59,214 पाया गया। अतः समिति द्वारा निर्धारित व्यय महाविद्यालय स्तर से नही किया गया।

7) महाविद्यालय द्वारा धनराशि का व्यय समय समय पर छोटी-छोटी क्रय समितियों का गठन कर किया गया, क्रय समितियों मे सदस्यो कि संख्या मे विसंगतिया पायी गयी, तुलनात्मक विवरण नही बनाया गयी और न ही समिति गठित करते समय किसी वित्त सेवा के सदस्य शामिल किया गया था।

8) यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग कि गयी धनराशि मे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, amc, सांस्कृतिक क्रियाकलापो, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और संगोष्ठी का आयोजन समय समय पर कराया जाने कि बाध्यता थी परंतु ऐसा किया जाना लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उपरोक्त पर अपने उत्तर मे बताया है कि

भविष्य मे प्राप्त धनराशि का आवंटन निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाएगा तथा भविष्य मे पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि महाविद्यालय द्वारा धनराशि ₹ 12,11,988/- का व्यय यू॰जी॰ सी॰ के दिशानिदेशों कि उपेक्षा करते हुए किया गया है तथा ₹ 18492/-(ब्याज सहित) यू जी सी को समर्पित किए जाने संबन्धित प्रमाण उपलब्ध नही पाये गए साथ ही सामग्रियों/उपकरणो का क्रय करते समय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमो का अनुपालन नही किया गया।

अतः यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए धनराशि ₹ 12.12 लाख का अनियमित व्यय किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर **4:-** धनराशि **₹ 11,992/-** की शासकीय हानि का प्रकरण।

आयकर अधिनियम 1961, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु के सेक्शन 194-सी के अंतर्गत भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता अथवा फर्म जिससे सामग्रियों का क्रय किया गया है, से कम से कम 2% टीडीएस की कटौती की जानी चाहिए एवं 194-सी के बिन्दु संख्या 05 मे यह स्पष्ट वर्णित है कि ₹ 30,000/- से अधिक के देयकों अथवा एक फर्म से एक वित्तीय वर्ष मे यदि आपूर्तिकर्ता धनराशि ₹ 75000/- से अधिक की सामग्रियों का क्रय किया जाता है तो संबन्धित फ़र्मों/ आपूर्तिकर्ता के देयकों से 2% टीडीएस काटकर भुगतान किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य, पी॰ एन॰ जी॰, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल के नमूना जांच के तहत वाउचरो कि जांच मे यह पाया गया कि धनराशि ₹ 5,99,614/- के सामाग्री/ उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि महाविद्यालय स्तर से क्रय किए गए थे जिनके संबन्धित देयकों का भुगतान करते समय फ़र्मों अथवा आपूर्तिकर्ता से 2% टीडीएस कि कटौती किए बिना इकाई द्वारा भुगतान किया गया, फलस्वरूप ₹ 5,99,614/- का 2 % = ₹ 11,992/- का अधिक भुगतान फ़र्मों को किया गया जिस कारण ₹ 11,992/- की शासकीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि भविष्य के लिए नोट किया गया।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि नियमो की अनदेखी के कारण ₹ 11,992/- की शासकीय हानि इकाई द्वारा हुई।

अतः धनराशि ₹ 11,992/- की शासकीय हानि का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

कार्यालय प्राचार्य, पी॰ एन॰ जी॰, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल

क्र. सं.	फर्म का नाम	बिल/आदेश संख्या/ दिनाक	वाउचर संख्या	धनराशि
1	**Digital Gallery**	**663, 27/10/15**	**139**	**1,69,654/-**
2	**Digital Gallery**	**972, 08.12.15**	**140**	**39,900**
3	**Digital Gallery**	**663, 08.12.15**	**141**	**8,000**
4	**Digital Gallery**	**663-ए, 29.12.15**	**142**	**20,800**
5	**Sharma trading co.**	**635, 24.11.15**	**143**	**49,980**
6	**Twomen's business organization**	**624, 08.12.15**	**144**	**46,255**
7	**Vishesh enterprises**	**256, 04.01.16**	**145**	**34,400**
8	**Anil furniture**	**36, 29.01.16**	**146**	**59,928**
9	**Lmc electronics**	**625, 15.10.15**	**156**	**50,000**
10	**Shivang Scientific traders**	**1086, 02.03.16**	**163**	**23,000**
11	**Shivang Scientific traders**	**1087, 02.03.16**	**164**	**49,980**
12	**Promark technosolutions**	**1244, 29.02.16**	**165**	**47,717**
			Total	**₹ 5,99,614/-**

STAN

प्रस्तर **1**:- महाविद्यालय में पड़ी **₹ 50284/-** धनराशि की निष्प्रयोज्य/अप्रोज्य सामग्री की नीलामी न किए जाने के कारण शासकीय हानि।

महाविद्यालयों में छात्रों को अध्ययन के साथ-साथ प्रयोगात्मक क्रियाकलापों हेतु महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है जिस हेतु प्रयोशालाओं में उपकरण उपयोग हेतु क्रय किये गये थे। सम्बंधित उपकरण महाविद्यालय में अनुरक्षण ठीक प्रकार से नही किये जाने के कारण अप्रोज्य/ टूट-फूट गये तथा छात्रों के उपयोग में नहीं लाये गये। तदोपरांत उक्त उपकरणों, जोकि अप्रयोज्य /निष्प्रोज्य हो चुके होते हैं, की सामान्य वित्तीय नियम 196 तथा 197 के अनुसार नीलामी कर देनी चाहिए ताकि उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के विभागीय/राजस्व प्राप्ति में जमा किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य पी० एन० जी० राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय रामनगर के विज्ञान संकाय के स्टाक पंजिकाओ की जाँच में पाया गया की (2014-15 से 2017 तक) भौतिक सत्यापन में ₹ 50284/- के विभिन्न उपकरणों को निष्प्रोज्य घोषित किया गया है। निष्प्रोज्य घोषित किये गये गये उपकरणों की नीलामी समय से नही कराये जाने के कारण उक्त उपकरणों के मूल्य में समय दर समय मूल्य का ह्रास हो रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा वताया गया कि न तो कोई सामग्री मरम्मत योग्य है न ही कोई निष्प्रोज्य सामग्री नीलाम की गयी है। साथ लेखापरीक्षा द्वारा नीलामी न किये जाने का कारण स्पष्ट करने पर इकाई द्वारा कोई तर्कसंगत उत्तर नही दिया गया।

उत्तर से स्पष्ट है की इकाई द्वारा धनराशि ₹ 50284/- की निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। जिससे उक्त निष्प्रोज्य सामग्री के मूल्य में वर्ष दर वर्ष ह्रास हो रहा है तथा नीलामी से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व का भी ह्रास हो रहा है।

अतः धनराशि ₹ 50284/- की घोषित निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी न किये जाने से होने वाली राजस्व की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2:-** पुस्तकाल्य से छात्र/छात्राओं को निर्गत **634** पुस्तकें वापस प्राप्त न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम -194 के प्रविधानों के अनुसार -complete physical verification of books, should be done every year in case of libraries ,having not more than twenty thousand volumes ,loss of five volumes of books issued consuted in a year may be taken as reasonable provided such cases are not attributable to dishonest ,or negligence. However loss of a book of value exceeding Rs 1000.00 and rare books irrespective of volume shall invariablely be Investigated and appropriate action taken.

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महाविधालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की जांच पंजिका मे पाया गया कि इकाई द्वारा रखरखाब किए जाने वाले पुस्तकालय मे कुल 42,862 पुस्तके अंकित थी, जिसमे से लेखापरीक्षा अवधि तक 5,600 पुस्तके छात्र/छात्राओ को निर्गत की गयी थी, एवं जिसमें आगे जाँच में पाया गया कि पुस्तकालय समिति द्वारा न ही समय-समय पर प्राप्तकर्ता को न तो कोई सूचना दी गई न ही आगे की अवधि तक पुस्तकों के निर्गमन की नवीनीकरण कराने सम्बन्धी अभिलेख का कोई साक्ष्य पाया गया एवं ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होने विलंब से पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा किया, हेतु महाविद्यालय द्वारा बनायी गई पुस्तकालय समिति द्वारा विलंब शुल्क लेने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा पुस्तकालय की वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट complete नहीं किया जाना पाया गया। फलतः पुस्तकों की स्टाफ नियत अवधि मे जारी पुस्तकों की वापसी तथा अप्राप्त पुस्तकों की कारण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी के संज्ञान मे नहीं लाया गया। निर्गत पुस्तकों में से इकाई द्वारा मात्र ₹ 20369.00 मूल्य की 46 पुस्तकों का विवरण सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया गया। 634 Missing पुस्तकों की लेखापरीक्षा तिथि (12/2017) तक वापसी इकाई द्वारा सुनिश्चित नहीं कराई गई थी।

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई, के संबंध में कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि यदि इकाई द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाती, तो पुस्तकालय के रखरखाव का संचालन सुचारू रूप से होता।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
87/2013-14	शून्य	01	--	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

<u>भाग-**V**</u>

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डा0 श्रीमति हेमा प्रसाद	कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल	09/2013 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्राचार्य, पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.